न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 09 / 22 सन् 2022

RCMS NO-2022/ 130

बउनवानीः—1.निर्मला पत्नि हंसराज पुत्री बृजमोहन गुर्जर नि0 सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
2.उर्मिला पत्नि जयसिंह पुत्री बृजमोहन गुर्जर नि0सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
3. सत्यनारायण पुत्र बृजमोहन गुर्जर निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. नवलकिशोर पुत्र बृजमोहन जाति गुर्जर नि0 सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
2. रूपनारायण पुत्र बृजमोहन जाति गुर्जर नि0 सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
3. रामप्यारी पत्नि बृजमोहन जाति गुर्जर नि0 सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र बृजमोहन जाति गुर्जर नि0 सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1271 निर्णय दिनांक 15.01.2013 वाके ग्राम सूरवाल बी तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री तुलसीराम शर्मा, — नायब तहसीलदार पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 5.3.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1271 निर्णय दिनांक 15.01.2013 वाके ग्राम सूरवाल बी तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा विवादित नामा0 संख्या 1271 निर्णय दिनांक 15.01.2013 वाके ग्राम सूरवाल अपीलान्ट के पिता बृजमोहन पुत्र मोती गुर्जर के देहान्त के उपरान्त बृजमोहन के वारिसान के नाम दिनांक 14.1.2013 को भरा जाकर 15.1.2013 को आई.एल.आर से तुलना करवाकर दिनांक 15.1.2013 को विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक किया गया है क्योकि उक्त नामा0 में अपीलान्टगण का नाम निर्मला के स्थान पर काछी एवं उर्मिला के स्थान पर रामनरी पुत्री बृजमोहन तथा सत्यनारायण के स्थान पर संतोष पुत्र बृजमोहन के नाम से दर्ज फैसल किया गया है जो विधि विरूद्व है। अतः उक्त नामा0 को निरस्त किया जाकर जो काछी के स्थान पर निर्मला, रामनरी के स्थान पर उर्मिला एवं संतोष के स्थान पर सत्यनारायण के नाम से दर्ज फैसल[illegible] किया गया है कथन के समर्थन में अपीलान्ट बृजमोहन का आधार कार्ड, मतदाता प[illegible] राशन कार्ड व निर्मला, उर्मिला के आधार कार्ड की प्रति पेश कर आदेश जैर अपील [illegible] की सही नाम करने बाबत निवेदन किया है। आदेश जैर अपील [illegible] दिनांक 17.6.2022 [illegible] प्राप्त होने एवं दिनांक 22.6.2022 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अपील अन्दर म[illegible] दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:21:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वैसे तो यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम कमश निर्मला, उर्मिला पुत्रीया बृजमोहन एवं सत्यनारायण पुत्र बृजमोहन गुर्जर है आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट निर्मला के स्थान पर काछी तथा उर्मिला के स्थान पर रामनरी एवं सत्यनारायण के स्थान पर संतोष अंकित किया गया है जो गलत है। अतः अपीलान्ट का नाम आदेश जैर अपील में काछी के स्थान पर निर्मला, रामनरी के स्थान पर उर्मिला एवं संतोष के स्थान पर सत्यनारायण किये जाने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 5 को कोई आपत्ति नही है तथा अपीलान्ट का नाम संशोधित किये जाने पर रेस्पोडेण्ट एवं राज्य सरकार का कोई हित भी प्रभावित नही होता है। अतः आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का गलत नाम होने से नामा0 संख्या 1271 दिनांक 15.1.2013 विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किया जाना चाहिए।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज यथा अपीलान्ट का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट से अपीलान्ट का सही नाम काछी के स्थान पर निर्मला, रामनरी के स्थान पर उर्मिला एवं संतोष के स्थान पर सत्यनारायण होने की आंशिक पुष्टि होती है। इस प्रकार आदेश जैर अपील काछी, रामनरी एवं संतोष के गलत नाम से भरकर दर्ज फैसल किया जाने के कारण विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 1271 निर्णय दिनांक 15.01.2013) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्टगण को अपना सही नाम निर्मला, उर्मिला एवं सत्यनारायण होने की पुष्टि से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के सही नाम से पुनः नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:21:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner